न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बुचावास

अनुवान ओम सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 95 / 2025

निर्णय दिनांक 03/07/25

1. ओम सिंह पुत्र गुगनराम जाति राजपूत निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू
2. औंकारसिंह पुत्र गुगनसिंह जाति राजपूत निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू
3. कालू सिंह पुत्र मेद सिंह जाति राजपूत निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू
4. जसवंत सिंह पुत्र मेद सिंह जाति राजपूत निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू
5. पूनम कंवर पुत्री मेद सिंह जाति राजपूत निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू
6. बलवान सिंह पुत्र मेद सिंह जाति राजपूत निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू
7. लखपतसिंह पुत्र गुगनराम जाति राजपूत निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू
8. श्यामसिंह पुत्र गुगनराम जाति राजपूत निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू
9. शिला पुत्री गुगनराम जाति राजपूत निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर कांधलान पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 205 खसरा सं. 339 तादादी 4.3499 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी में प्रार्थीगण की जाति दरोगा दर्ज हो गया, जो गलत है। जबकि प्रार्थीगण की अन्य जमाबंदी कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर कांधलान पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर खाता संख्या 206 व 294 में जाति राजपूत है। प्रार्थीगण की जाति जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर कांधलान पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 205 खसरा सं. 339 तादादी 4.3499 हैक्ट. में प्रार्थीगण की जाति राजपूत किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ग्राम पंचायत बुचावास में पत्रावली पेशी में ली गई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थीगण के ग्राम झाड़सर कांधलान के जमाबंदी खाता संख्या 206 व 294 में जाति राजपूत दर्ज है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

Rajendra

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जमाबंदी कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर कांधलान पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर खाता संख्या 206 व 294 में जाति राजपूत पायी जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज जमाबंदी कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर कांधलान पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर खाता संख्या 206 व 294 में जाति राजपूत पायी जाती है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति दरोगा अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर कांधलान पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 205 खसरा सं. 339 तादादी 4.3499 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण की जाति दरोगा Delete कर इसके स्थान पर जाति राजपूत अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/07/25 को कोर्ट कैंप बुचावास में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)